प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 23 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 04 – 11 जून 2018 मूल्य पांच रूपए

अन्त: विरोधों में घिरती जयराम सरकार के लिये कठिन होती जा रही अगली राह

शिमला/शैल। 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव 2018 में भी हो सकता है इसके संकेत उभरते जा रहे हैं क्योंकि अभी हुए कुछ राज्यों के कुछ लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में जैसे बड़े राज्यों में हुई हार से भाजपा बुरी तरह हिल गयी है। इस हार के बाद ही कुछ पूराने फैसलों पर पार्टी में पुनर्विचार हुआ है। इसमें अब 75 वर्ष से ऊपर के नेताओं को न केवल फिर से टिकट देकर चुनाव ही लड़ाया जायेगा बल्कि जीतने के बाद उन्हें मन्त्री तक बना दिया जायेगा। इस फैसले का तो हिमाचल पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि अब प्रेम कुमार धूमल और शान्ता कुमार चुनावी राजनीति से बाहर हो जायेंगे। लेकिन अब सबकुछ बदल गया है। लोकसभा चुनाव जीतना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की एक तरह से व्यक्तिगत आवश्यकता बन गयी है। इसके कारण अब आम आदमी समझने लगा है। लोकसभा चुनावो में यदि पार्टी हार जाती है तो इस हार की जिम्मेदारी, मोदी, शाह और मोहन भागवत पर जायेगीं क्योंकि इन पिछले चार वर्षों में जिस तरह से वैचारिक कट्टरता को प्रचारित किया गया है उससे समाज का एक बड़ा वर्ग भाजपा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया है। कर्नाटक चुनावों में यह सामने भी आ गया है जहां कांग्रेस को 38% और भाजपा को 36% वोट मिले हैं। भाजपा की धर्म आधारित विचारधारा का विरोध अब भाजपा के अन्दर से भी उठने लगा है। यूपी के कैराना मे हुई हार के बाद पार्टी के कुछ मन्त्रीयों और सांसदो ने इस पर सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू कर दिया है बल्कि पिछले दिनों एनबीसी का एक सर्वे आया है जिसमें दिल्ली, जम्मू-कश्मीर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उतराखण्ड में भाजपा को केवल छ: से सात सीटें मिलती दिखायी है। बल्कि इस सर्वे के बाद तो हरियाणा में भी नेतृत्व के खिलाफ शेष के स्वर मुखर होने शुरू हुए हैं।

इस परिदृश्य में हिमाचल का आकलन करते हुए लोसभा चुनावों में भाजपा को 2014 जैसी सफलता की दूर -दूर तक उम्मीद नही लगती क्योंकि जयराम सरकार स्वत: ही अन्त: विरोधों में घिरती जा रही है। इसके कई फैसले ऐसे आ गये है जिनसे आने वाले दिनों में लाभ मिलने की बजाये नुकसान होगा। सरकार ने आबकारी एवम् कराधान में पिछले वर्षो में सरकार का राजस्व कम कैसे हुआ है इसकी विजिलैन्स जांच करवाने का फैसला लिया है सिन्द्धात रूप में यह फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें सरकार के फैसले पर उस समय हैरानी होती है जब सरकार ने सारे नियमो /कानूनो को अंगूठा दिखाते हुए स्टडी लीव का लाभ दे दिया। यह फैसला एक व्यक्ति को अनुचित लाभ और सरकार को नुकसान पहुंचाने का है सीधे आपराधिक मामला बनता है। प्रदेश के सहकारी बैंको का 900 करोड़ से अधिक का कर्ज एनपीए के रूप में फंसा हुआ है। पांच माह में इस कर्ज को वापिस लेने के कोई ठोस कदम नही उठाये गये। उल्टा सरकार को मई में सीधे 700 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है और जून में राज्य विद्युत बोर्ड की कर्ज सीमा पांच हजार करोड़ से बढ़ाकर सात हजार करोड़ कर दी गयी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी यह सरकार अपनी विश्वसनीयता बनाने में सफल नही हो पायी है। इस मन्त्रीमण्डल की पहली ही बैठक में बीवरेज कारपोरेशन को भंग करके उसमें हुए राजस्व के नुकसान की विजिलैन्स जांच करवाने का फैसला लिया गया था। पांच माह में यह मामला विजिलैन्स में पहुंच जाता, ऐसा नही हो पाया है। क्योंकि जिन अधिकारियों पर इसकी गाज गिरेगी वही आज सरकार चला रहे हैं। अब सरकार ने विदेशों से मंगवाये गये सेब के पौधों में पाये गये वायरस के कारण हुए नुकसान की जांच करवाने का भी फैसला लिया है। यह जांच होनी चाहिये लेकिन क्या इसी विभाग में घटे करोड़ो के टिशू कल्चर घोटाले की जांच भी करवायेगी। इसी विभाग के अधिकारी डा. बवेजा के एक मामले में तो डीसी सोलन का पत्र ही बहुत कुछ खुलासा कर देता है क्या उसकी भी जांच सुनिश्चित की जायेगी। ऐसे कई विभागों के दर्जनों मामलें हैं जिनमें राजस्व का सीधा-सीधा नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार तो उन अधिकारियों को पदोन्नत कर रही है जिन्हें अदालत ने भी दंडित करने के निर्देश दे रखे हैं। आने वाले दिनों में यह सब बड़े मुद्दे बनकर सामने आयेंगे और सरकार से जवाब मांगा जायेगा।

सुचारू शासन के नाम पर मुख्यमन्त्री के अपने ही चुनाव क्षेत्र में कई दिनो तक लोग एसडीएम कार्यालय के मुख्यालय को लेकर आन्दोलन करते रहे। मुख्यमन्त्री के तन्त्र और सलाहकारों ने इस आन्दोलन के पीछे धूमल का हाथ बता दिया और यह चर्चा इतनी बढ़ी कि धूमल को यह ब्यान देना पड़ा कि सरकार चाहे तो सीआईडी से इसकी जांच करवा ले। अब शिमला और प्रदेश के अन्य भागों में पेयजल संकट सामने आया। शिमला में उच्च न्यायालय से लेकर मुख्यमन्त्री और मुख्य सचिव को स्थिति का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना पड़ा। यहां यह सवाल सवाल उठता है कि ऐसा कितने मामलों में किया जायेगा और जो हुआ है उसका प्रशासन पर असर क्या हुआ है तथा इसका जनता में सन्देश क्या गया। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्यसचिव पर्यटन को कुछ पत्रकारों को बुलाकर चर्चा करनी पड़ी है। इसके बाद मुख्यमन्त्री ने भी पत्रकारों के एक निश्चित ग्रुप से ही इस पर चर्चा की। यही नहीं अब जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता संबोधित की उसमें भी कुछ चुने हुए पत्रकारों को बुलाया गया। इससे भी यही संकेत गया है कि शीर्ष प्रशासन से लेकर मुख्यमन्त्री और भाजपा का संगठन भी पत्रकारों को विभाजित करने की नीति पर चलने लगा है। जिसका दूसरा अर्थ यह है कि अभी से कुछ पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करने से डर लगने लगा है। लेकिन यह भूल रहे हैं कि पत्रकार जनता को जवाबदेह होता है सरकार और प्रशासन के सीमित वर्ग को नही।

आज पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क से समर्थन की रणनीति अपनायी है और हिमाचल में सरकार और पार्टी इस संपर्क की सबसे बड़ी कडी पत्रकारों में विभाजन की रेखा खींचकर जब आगे बढ़ने का प्रयास करेगी तो इसके परिणाम कितने सुखद होंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे ही अब तक के पांच माह के कार्यकाल में अपने होने का कोई बड़ा संदेश नही छोड़ पायी है। आज यदि कोई व्यक्ति कुछ मुद्दों पर जनहित के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दे तो स्थितियां और गंभीर हो जायेंगी। शिमला में पानी के संकट के बाद नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ बगावत के स्वर उभरने लग पड़े है। जो अन्ततः संगठन की सेहत के लिये नुकसानदेह ही सिद्ध होंगे। पूर्व सांसद सुरेश चन्देल भी अपने तेवर जग जाहिर कर चुके हैं। सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने के विधेयक को राज्यपाल से स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन यह नियुक्तियां अभी तक नही हो पायी है। निश्चित है कि जब इस विधेयक पर अमल किया जायेगा तो इसे उच्च न्यायालय मे चुनौती मिलेगी ही और वहां इस विधेयक को अनुमोदन मिलने की संभावना नही के बराबर है। सूत्रों की माने तो यह विधेयक लाये जाने से पूर्व हाईकमान से भी राय नहीं ली गयी है। इस तरह अब तक सरकार अपने ही फैसलों के अन्त: विरोध में कुछ अधिकारियों और अन्य सलाहकारों के चलते ऐसी घिर गयी है कि इससे सरकार का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। हाईकमान ऐजीन्सीयों के माध्यम से इस पर पूरी नजर बनाये हुए है। ऐजैन्सीयां शीघ्र ही यह रिपोर्ट देने वाली है कि प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटों पर इस बार जीत मिलने की संभावना है। यदि यह रिपोर्ट कोई ज्यादा सकारात्मक न हुई तो इसका असर कुछ भी हो सकता है। अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों को लेकर केन्द्र के पास पंहुची रिपोर्ट सरकार के पक्ष में नही हैं। इसमें इस सरकार की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर प्रश्न उठाये गये हैं। क्योंकि इनमें सरकार के कई अपने भी संलिप्त है। शीर्ष प्रशासन को इस रिपोर्ट की जानकारी है और इसी कारण से सरकार की छवि सुधारने को लेकर चर्चा की गयी है।

15 रूपये की राहत देकर कांग्रेस के "थाली चम्मच" प्रदर्शन का दिया जवाब

शिमला/शैल। कांग्रेस ने पिछले दिनों बढ़ती मंहगाई के खिलाफ प्रदेशभर में थाली चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया था। सरकार ने इस प्रदर्शन का जवाब दालों की कीमतो में प्रति किलो 5 रूपये दाम करके प्रदेश के 18.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। इसी के साथ राशन की गुणात्मकता और गुणवत्ता दोनों को भी सुनिश्चित बनाने का दावा किया है। यह जानकारी नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोक्ता मामलों के मन्त्री किश्न कपूर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दी है। मन्त्री ने दावा किया कि इन दिनों बाज़ार में दालों की कीमतों में कमी आयी है और राज्य सरकार ने तुरन्त प्रभाव से इसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया है। कपूर ने यह भी दावा किया कि शीघ्र ही चीनी की कीमतों में भी कमी की जायेगी। इस समय राशन डिपूओं के माध्यम से लोगों को चना, उड़द और मलका की दाल उपलब्ध करवायी जा रही है। इनकी कीमतें पहले 40, और 35 रूपये थी जो अब 40 से 35 और 35 से 30 रूपये हो गयी है।

इसी के साथ मन्त्री ने यह भी दावा किया कि शीघ्र ही प्रदेश के एक लाख गरीबों को गृहणी सुविधा योजना के तहत रसोई गैस के कनैक्शन भी उपलब्ध करवाये जायेंगे। एक कनैक्शन पर 3500 रूपये खर्च आयेगा जिसे राज्य सरकार स्वयं उठायेगी । इस संद्धर्भ में सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग से गरीबों का आंकड़ा मांगा है। प्रदेश में कितने गरीब हैं इसके लिये पहले से ही बीपीएल परिवारों की सूची सरकार के पास उपलब्ध है क्योंकि हर बीपीएल परिवार के बाहर उसकी बीपीएल होने का बोर्ड चिपका हुआ है यही नही प्रदेश में अन्तोदय के तहत कितने परिवार आते हैं इसका आंकड़ा भी सरकार के पास उपलब्ध है। बल्कि अब तो जन धन योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते जीरो बैलेन्स पर खोले गये हैं।

ऐसे में सरकार ग्रामीण विकास विभाग से नये सिरे से यह आंकड़े क्यों मांग रही है? क्या सरकार को इन आंकड़ो पर विश्वास नही है या इसका कोई नया सर्वे करवाना चाहती है। या फिर अभी सरकार के पास इसके लिये उपयुक्त साधन नही है। जिसके कारण यह सुविधा अभी देने में वक्त लग रहा है। इन सवालों के जवाब विभाग की ओर से नही आये हैं।

प्राकृतिक कृषि विस्तार में समन्वयक की भूमिका निभाएंगे आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। देश में कृषि विकास की दिशा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत अहम् भूमिका निभाएंगे। शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को विस्तार देने के लिए वह समन्वयक के तौर पर कार्य कर इस म डल को व्यवहारिक रूप देने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्राकृतिक कृषि में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी कि वे किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर करने की दिशा में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के प्रचार व प्रसार में राज्यपालों का नेतृत्व करेंगे।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित दो दिवसीय 49वें राज्यपाल सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि के अतिरिक्त, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का प्रदेश में सुचारू कार्यान्वयन, विश्वविद्यालय स्तर पर गुणात्मक शिक्षा व शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के प्रयास, कौशल विकास, आंतरिक सुरक्षा, राजभवन के माध्यम से नव प्रोत्साहन की दिशा में कार्य तथा सामाजिक सरोकार के अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के संकल्प पर राज्य गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शून्य लागत प्राकृतिक कृषि का विकल्प दिया है। गौ-पालन से जुड़ी इस प्राकृतिक कृषि की विस्तृत जानकारी को लेकर उन्होंने ''शून्य लागत प्राकृतिक कृषि'' नाम से एक पुस्तक का लेखन व प्रकाशन भी किया है, जिसे प्रदेश के किसानों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर, उन्होंने यह पुस्तक राष्ट्रपति और सभी

राज्यपालों को भेंट की। हिमाचल प्रदेश के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि विभाग स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. कर रहे विद्यार्थियों को किसानों से सीधे जोड़ने और उनके शोध कार्य किसानों के खेत में सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शोध कार्यों को खेत खलियान तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल की गई है।

राज्य सरकार ने शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के म डल को गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जो प्राकृतिक कृषि पर आधारित है। इसके तहत प्रदेश के कांगड़ा जिला, मंडी जिला और सोलन जिलों में किसानों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों को निचले स्तर तक आयोजित किया जा रहा है और मास्टर ट्रेनर तैयार कर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि राज्यपाल के तौर पर गत पौने तीन वर्षों में उन्होंने हिमाचल में 6 प्रमुख बिन्दुओं पर कार्य किया, जिनमें स्वच्छता, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मुहिम, नशामुक्ति, शून्य लागत प्राकृतिक कृषि एवं गौ-पालन और जातिवाद एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सामाजिक समरसता कायम करना शामिल है। सामाजिक कल्याण के इन विषयों को उन्होंने जागरूकता अभियानों का रूप देकर समाज के हर वर्ग को इनसे जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल को पर्यटन की कृष्टि से अधिक विकसित करने के लिए स्वच्छता अभियान को गति दी गई तथा पौधारोपण कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान की तथा 'जल संरक्षण साक्षरता अभियान' चलाकर जल स्रोतों को पुर्नजीवित करने के लिए व्यापक स्तर पर चैकडैम बनाने की रणनीति तैयार की गई है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को आगे बढ़ाते हुए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ा संदेश देकर बेटियों की शिक्षा, प्रोत्साहन और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने की सोच विकसित करने की पहल की गई है।

'नशामुक्त हिमाचल' का नारा देकर स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर अभियान चलाए गए और जिम्मेवार एजेंसियों को नियमित अनुश्रवण के दिशा-निर्देश दिए हैं। शिमला में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश की पहली बड़ी रेल परियोजना, भानुपल्ली - बिलासपुर- बेरी ब्राडगेज रेल मार्ग का निर्माण कार्य लेह तक शीघ्र पूरा किया जाने, रेल व सड़क से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने तथा निकटतम रेलवे स्टेशन तक माल भाड़े के सम्बन्ध में दिए जाने वाले अनुदान को पुनः बहाल करने का भी आग्रह किया।

राजभवन को विकसित करने के लिए जल संचयन, सौर ऊर्जा, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, पौधरोपण, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि की भी जानकारी दी।

हेलिटैक्सी सेवा के लिए उपयुक्त लैंडिंग स्थलों का शीघ्र होगा चयनः मुख्यसचिव

शिमला/शैल। मुख्यसचिव विनीत चौधरी ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा मनाली से रोहतांग को हैली टैक्सी आरम्भ करने की घोषणा के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली पवन हंस कम्पनी तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ रोहतांग का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि हैलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए रोहतांग तथा इसके आस-पास विभिन्न उपयुक्त स्थान देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर हैलीकॉप्टर की लैंडिंग करने के लिए नियमानुसार स्थानों का चयन किया जाएगा तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात चयनित स्थानों में उपयुक्त लैंडिंग स्थान विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि रोहतांग को हेलिटैक्सी सेवा आरम्भ करने के लिए इस सप्ताह नागरिक उड्यन मंत्रालय की टीम मनाली पहुंचेगी जो प्रशासन द्वारा मनाली में हेलिटैक्सी को लेकर देखी गई भूमि को फाइनल करेगी। उन्होंने कहा कि हेलिटैक्सी आरम्भ हो जाने से जहां पर्यटकों को रोहतांग के आठ से दस घंटे के जाम से छुटकारा मिलेगा, वहीं महज चंद मिनटों में सैलानी मनाली से रोहतांग पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से जहां क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, वहीं मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 84.13 करोड़ की वित्तीय सहायता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत 84.13 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिये भारत सरकार के गृह मामले तथा वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्षा ऋतु-2017 के दौरान लगातार वर्षा, बादल फटने तथा भूस्खलन के कारण जान, माल तथा फसलों का भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि समस्त उपायुक्तों सहित कृषि, बागवानी, बहुदेशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा शिक्षा विभागों द्वारा नुकसान तथा क्षतिपूर्ति की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का विस्तृत ज्ञापन तैयार किया गया और इसे भारत सरकार के गृह मामले मंत्रालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से विस्तृत ज्ञापन प्राप्त होने के उपरांत केन्द्र की अंतर मंत्रालय टीम को 28 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर, 2017 तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर आंकलन करने के लिये तैनात किया गया था। उच्च स्तरीय समिति ने मापदण्डों तथा केन्द्र की अंतर मंत्रालय टीम की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के लिये सहायता राशि की संस्तुति की।

उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, वित्तायोग मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत 84.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जो वर्ष 2016 के आवंटन के मुकाबले अधिक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 81.22 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2016-17 में 63.23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" SHORT NOTICE INVITING TENDER'

Sealed item rate tenders on forms 6 & 8 are invited by the Executive Engineer H.P.PWD., Baijnath for the below mentioned work from the approved and eligible contractors/Firms as per enlistment rule Rule -2015 in H.P.PWD., as class D ,C and class ABC and D for Bitumen works so as to reach in his office on or before 11.07.2018 up to 10.30 A.M. and will be opened on the same day at 11.00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be had from his office against cash payment (Non refundable) up to 4.00 P.M. on 10.07.2018.The application for issue of tender forms shall be received up to 12.00 Noon on 09.07.2018.The Contractor enlisted in appropriate class can tender for his own class as well as one step below as per rule 8.1 of enlistment contract Rule 2015.The earnest money in the shape of National Saving certificate/Time Deposit accounts/Saving Accounts in any Post Office/Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN H.P.PWD., Baijnath must be accompanied with the tender documents. Conditional tenders and the tenders received without earnest money as mentioned above will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or to drop the proposal of the tender without assigning any reasons.

Work No.1. A/R & M/O Various road in Deol Section under Baijnath Sub-Division H.P.PWD.,Baijnath (SH: Repair of Pot Holes various roads in Deol Section) Estimated Cost Rs. 4,80,960/- Earnest Money Rs. 9700/ - Time limit :- Three Months. Cost of Tender Form Rs. 350/-

Work No.2. A/R & M/O Various road in Kandwari Section under Baijnath Sub-Division H.P.PWD.,Baijnath (SH: Repair of Pot Holes various roads in Kandwari Section) Estimated Cost Rs. 4,87,740/- Earnest Money Rs. 9800/- Time limit :- Three Months. Cost of Tender Form Rs. 350/-

Terms and conditions:-

1. The contractor should be registered as dealer under H.P. GST Tax Act. 2018 and also produce the Tin number, H.P. sales Tax clearance certificate from the Excise and Taxation Department.

2. The Pan Number , latest Income Tax clearance certificate and EPF No(Where applicable) duly attached with the application.

3. The contractor will have to produce the attested copy of his/ their enlistment/renewal at the time of submitting application for issue of tender form failing which their application will not be entertained.

4. In case of holiday on the day of opening of tenders, the same will be opened on the next working day on the same time and venue.

5. The application form should accompany the earnest money in shape of FDR/NSC duly pledged in favour of Executive Engineer, PWD Baijnath otherwise no forms will be issued .

6. The contractor will also have to attach the labour employer license from the labour office with the application.

7. Tender not received on prescribed form and manner shall not be considered and will be liable for rejection straightway.

8. The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within One year from the date of completion of the work and the portion of security deposit relating to as phaltic Work shall be refunded after the expiry of this period.

9. The contractor shall have all required machinery such as Truck/ Tipper , Mixture, water tanker Vibrator etc or should submit the undertaking/affidavit regarding providing to him such manchinery of owner's having such machinery.

10.The Contractor shall not have more than Two works in hand and in this regard alongwith application shall submit an under taking viz he will get complete the works in hand before award of work with in schedule time.

Adv. No.-0989/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer, HPPWD Kangra Distt. Kangra H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the e-tenders on item rate basis, on mentioned work from the eligible and approved contractors/ Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Cost of tender	Eligible class of contractor	Time limit
1.	Periodical Maintenance under Performance based financial incentive 2017-18 for PMGSY Rural Road on Kangra to Zamanabad road km. 0/0 to 4/500 (SH:- P/L Bituminous Concrete Pavement in km. 0/0 to 1/00).	8,39,448/-	16,800/-	350/-	Class-D & C	One Month
2.	Periodical Maintenance under Performance based financial incentive 2017-18 for PMGSY Rural Road on Bhatlahru to Kharth Pathiar road km. 2/0 to 3/500 (SH:- P/L Bituminous Concrete Pavement in km. 2/0 to 3/500).	7,20,296/-	14,450/-	350/-	Class-D & C	One Month
3.	Periodical Maintenance under Performance based financial incentive 2017-18 for PMGSY Rural Road on Takkipur to Band road km. 0/0 to 7/0 (SH:- P/L Bituminous Concrete Pavement in km. 3/0 to 4/00).	7,20,296/-	14,450/-	350/-	Class-D & C	One Month
4.	Periodical Maintenance under Performance based financial incentive 2017-18 for PMGSY Rural Road on Takkipur to Band road km. 0/0 to 7/0 (SH:- P/L Bituminous Concrete Pavement in km. 4/0 to 5/00).	7,20,296/-	14,450/-	350/-	Class-D & C	One Month
5.	Periodical Maintenance under Performance based financial incentive 2017-18 for PMGSY Rural Road on Takkipur to Band road km. 0/0 to 7/0(SH:- P/L Bituminous Concrete Pavement in km. 5/0 to 6/00).	7,20,296/-	14,450/-	350/-	Class-D & C	One Month
6.	Periodical Maintenance under Performance based financial incentive 2017-18 for PMGSY Rural Road on Takkipur to Band road km. 0/0 to 7/0 (SH:- P/L Bituminous Concrete Pavement in km. 6/0 to 7/0).	7,20,296/-	14,450/-	350/-	Class-D & C	One Month

Bidding documents can be viewed from the website **http://hptenders.gov.in** and can be downloaded from the website http://hptenders.gov.in from 10.00 a.m. on 21.06.2018 to 11.00 a.m. on 16.07.2018. The technical and financial bids can be deposited in electronic format on the website **http://hptenders.gov.in** from **10.00 a.m. 21.06.2018 to 11.00 a.m. on 16.07.2018** the technical bid received will be opened on same day at 11.30 a.m. The technical bids will be evaluated and the financial bids of responsive bidders will be opened later on in the presence of the bidders who wish to attend. Other detail/Terms and conditions can be seen in the bidding document which is loaded in through e-tendering. Bid documents contain qualifying criteria for bidders, specifications, bill of quantities, conditions and other detail, if the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bid will be opened on the next working day at the same time and venue. The complete bidding process will be online.
The undersigned has right to extend or cancel the bids without declaring any reasons thereof.

Adv. No.-1020/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मनरेगा में अब मिलेगा 120 दिन का रोजगार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रभावी प्रबन्धन व अनुश्रवण के लिए जिला मण्डी के नेर चौक में चिकित्सा विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्य में आयोजित जनमंच के सम्बन्ध में फीडबैक की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि प्रदेश में कुल 4007 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही किया गया। मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टाण्डा के एमबीबीएस प्रशिक्षुओं तथा हिमाचल प्रदेश दन्त महाविद्यालय शिमला के बीडीएस प्रशिक्षुओं का वजीफा (स्टीपंड) 10000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मण्डी में जंजैहली के सिराज में नया मण्डल सृजित करने तथा बगश्याड़ में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत नर्सों को आहार राशि के रूप में 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में मुख्यमंत्री लोक भवन योजना को लागू करने का फैसला लिया जिसके अन्तर्गत लोगों को विभिन्न सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। एक अन्य फैसले में मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री मधु विकास योनजा के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। यह योजना बागवानी विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जाएगी तथा व्यवसायिक मधुमक्खी पालन में लगे लोगों के अलावा मधुमक्खी पालक, जो इसे अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं, को लाभान्वित करेगी।

इसी प्रकार, बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रीमण्डल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत दिनों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करने पर अपनी सहमती जताई है, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के थुनाग में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन तथा दो अग्निशमन वाहनों की खरीद समेत अग्निशमन पोस्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन नियम, 2018 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के भवनों के निर्माण व ऊर्जा कुशल डिजाईन और निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस संहिता से न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊर्जा दक्षता के उन्नत स्तर को प्राप्त करने के लिए भवनों के लिए वृद्धिशील आवश्यकताओं के दो अतिरिक्त सेट भी प्रदान होंगे। यह संहिता 750 वर्ग मीटर या इससे अधिक के क्षेत्र में निर्मित भवनों या भवन परिसरों पर लागू होगा और इसे व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। निजी आवासीय भवन संहिता के दायरे में नहीं आएंगे।

मंत्रिमण्डल ने राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की उधार सीमा को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिले के रक्कड़ में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन सहित बी-फार्मेसी कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के नागनपत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया और साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी फैसला लिया।

बैठक में कृषि विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर कृषि प्रसार अधिकारियों के 75 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में हि. प्र. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 40 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिले के पंचरूखी पुलिस स्टेशन से ग्राम पंचायत सपैडु, ननाहर, नैण तथा राजहर को बाहर कर इन पंचायतों को पुलिस स्टेशन पालमपुर में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, जिससे इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिलेगी।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की सुचारू कामकाज के लिए 28 वाहन खरीदने का निर्णय लिया।

15 ट्राउट हैचरियों व 117 नई ट्राउट इकाईयों की होगी स्थापना: वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने नील क्रान्ति के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश के लिए 15 ट्राउट हैचरियों तथा 117 नई ट्राउट इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि नील क्रान्ति योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग को 40 फीसदी जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को 60 फीसदी दर से अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। अनुमानित लागत पर अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी।

मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को नील क्रान्ति योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष प्रस्ताव भेजे गए थे जिनका अनुमानित बजट 1342.96 लाख रुपये था, जिसमें 682.77 लाख रुपये केन्द्र का भाग था, जो कि इस वित्त वर्ष में जारी किया गया है। इस राशि में से कुल्लू, मण्डी, शिमला, चम्बा और किन्नौर के अतिरिक्त कांगड़ा व सिरमौर की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ट्राउट इकाईयों की स्थापना व अन्य कार्यों पर 542.470 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि एक ट्राउट इकाई के निर्माण पर 4.50 लाख रुपये व्यय किए जाते हैं तथा ट्राउट हैचरी के साथ लाभार्थी को 3 ट्राउट यूनिट दिए जाने प्रस्तावित है। इसके लिए सामान्य वर्ग को 15.48 लाख रुपये व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को 23.10 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ट्राउट हैचरी तथा ट्राउट इकाईयों के पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है और जल्दी ही इन्हें स्वीकृत राशि प्रदान की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए भी केन्द्र सरकार को कुल 1083.82 लाख रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन योजना के अन्तर्गत राज्य में कार्प तालाब व ट्राउट इकाईयों के निर्माण के अतिरिक्त आहार संयंत्र, मच्छली विक्रय केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि में से कुल 596.706 लाख रुपये केन्द्र द्वारा प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

वीरेन्द्र कंवर ने बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर बनने के लिए मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के साथ जुड़े तथा अपनी आर्थिकी सुधारे।

खेल महाकुम्भ के लिए 1300 टीमें पंजीकृत: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आयोजित सांसद स्टार खेल महाकुम्भ में विभिन्न खेलों में 1300 टीमों के पंजीकरण होने की जानकारी दी है।

अनुराग ठाकुर ने कहा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ। स्टार खेल महाकुम्भ के माध्यम से ग्रामीण और पंचायत स्तर की प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जिस से उन्हें अपनी प्रतिभा को आगे लेकर जाने का अवसर मिले। इस आयोजन में कुल 5000 गाँवों की 800 से ज्यादा पंचायतों के क्रिकेट, कबड्डी, बॉलीबाल, फुटबॉल, बॉस्केटबाल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कुल 1300 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इतनी बड़ी संख्या में टीमों का रजिस्ट्रेशन खेलों के प्रति युवाओं का झुकाव और उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस खेल महाकुम्भ में पंचायत स्तर पर खेले जाने वाले आम खेलों को चयनित किया गया है। इसके माध्यम से हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लगभग 1 लाख युवाओं तक पहुँच कर उन्हें खेलों के जरिए मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस खेल महाकुंभ को चार हिस्सों में विभाजित किया गया है, और सभी पहलुओं पर एथलीटों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले चरण में, सभी एथलीटों को अपने प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण में प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान की जाएगी। तीसरे चरण एथलीटों को आगे बढ़ाने और विकास को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अवसर उपलब्ध करवाए जाएँगे। खिलाड़ियों के करियर को निखारने के लिए ये 5 साल की योजना होगी ताकि वे निकट भविष्य में देश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस खेल महाकुम्भ के आयोजन के पीछे मेरा मकसद युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ उन्हें नशे से दूर रख उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगाना भी है। युवा जीवन में नशे से दूर रहकर किसी न किसी खेल को अवश्य अपनाएं तो उनकी ऊर्जा का बेहतर प्रयोग हो सकता है। यदि युवा पीढ़ी खेलों की ओर आकर्षित होगी तो उनका शरीर तो मजबूत बनेगा ही साथ ही उनका मस्तिष्क भी तेज होगा और उनमें आपसी भाईचारा एवं सौहार्द की भावना विकसित होगी।

वर्ष के भीतर शिमला को चाबा से 10 एमएलडी जलापूर्ति: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर की जल समस्या के स्थाई समाधान के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि ऐसी दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जो अगले 50 से 60 वर्षों तक शिमला शहर में पेयजल सुविधा प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले थे तथा उन्हें शिमला के लिए पेयजल योजना के बारे में एक प्रस्ताव सौंपा था और उनके अनुरोध पर ही प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय जल आयोग के एक दल को शिमला भेजा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने केन्द्रीय शहरी एवं नगर नियोजन विभाग के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर शिमला शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की मांग भी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिमला शहर के लिए चाबा से एक वर्ष के भीतर 10 एम.एल.डी. जलापूर्ति का लक्ष्य रखा है, जिस पर 80 करोड़ रुपये व्यय होंगे। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के लिए 4700 करोड़ रुपये की जल संग्रहण योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है, जिसके अंतर्गत भू-जल के स्तर को बढ़ाने तथा जल स्रोतों के रख-रखाव का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी निधि से भी कुछ जल स्रोतों पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोलडैम से शिमला शहर के लिए जल लाने के कार्य को जल्द से जल्द से करने की संभावनाओं पर भी कार्य कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि शिमला शहर के निवासियों को कई दिन जल की कमी से जूझना पड़ा, जिसका मुख्य कारण सर्दियों में वर्षा एवं बर्फबारी का कम होना है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में भी प्रदेश सरकार ने जलापूर्ति को सामान्य बनाने के लिए विशेष प्रबन्ध किए तथा स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाया गया।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर मई और जून के महीनों में इस स्थिति से पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है परन्तु पिछली सरकार ने इस समस्या के समाधान को कोई प्रयास नहीं किया।

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जो दुर्भाग्यपूर्ण है तथा उन्हें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 34 एम.एल.डी. जल उपलब्ध था, उस समय भी शिमला शहर को जल संकट से जूझना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जल संकट इसलिए पैदा हुआ कि 22 एम.एल.डी. से भी कम जल उपलब्ध था, परन्तु ऐसा पहली बार हुआ जब इतने गंभीर प्रयास किए गए और बहुत कम समय में जलापूर्ति को सामान्य बनाया गया।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के विभाग आबकारी राजस्व को 160 करोड़ रुपये की हानि के दृष्टिगत जांच करने का निर्णय लिया है।

सरकार करेगी वैटनरी फार्मासिस्टों को पुर्न पदनामित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही वैटनरी फार्मासिस्टों को पुर्न पदनामित करने पर निर्णय लेगी। इन्हें पंजाब सरकार के पशु चिकित्सा निरीक्षकों की तर्ज पर बदलने के अतिरिक्त अन्य व्यवहारिक मांगों पर निर्णय लेगी।

यह उन्होंने सुन्दरनगर में जिला मण्डी के पशुपालन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजत एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सभी प्रयास कर रही है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पशुपालन विभाग की भी एक बड़ी भूमिका है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुन्दरनगर शहर के लिए पार्किंग के प्रथम चरण की नींव भी रखी, जिसके निर्माण पर 6.36 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने 1.79 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उप मण्डल चिकित्सा अस्पताल सुन्दरनगर में कुक्कुट पालन किसान प्रशिक्षण केन्द्र की आधारशिला रखी।

पशुपालन कर्मचारी संघ जिला मण्डी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21,000 रुपये का चैक भेंट किया। विधायक सुन्दरनगर राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री को सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया। संघ के जिला अध्यक्ष रवि पाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री के समक्ष संघ की मांगों को उठाया।

योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है।.....चाणक्य

सम्पादकीय

सम्पर्क से समर्थन तक

भाजपा ने इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर ''संपर्क से समर्थन'' की एक रणनीति योजना शुरू की है। इसके तहत पार्टी ने अपने मन्त्रियों सहित तमाम बड़े नेताओं को निर्देश दिये हैं कि वह अपने अपने राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के बड़े लोगों से मिलकर उनसे पार्टी के लिये समर्थन हासिल करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस रणनीति की शुरूआत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे व अन्य लोगों तथा पंजाब में प्रकाश सिंह बादल से मिलकर की है। केन्द्र में भाजपा की मोदी सरकार को 26 मई को सत्ता में आये चार साल हो गये हैं। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब इन चुनावों से पूर्व राम देव और अन्ना हज़ारे के आन्दोलनों से देश में बड़े स्तरों पर हो रहे भ्रष्टचार के खिलाफ एक बड़ा जनान्दोलन खड़ा हो गया था। इस आन्दोलन की जमीन तैयार करने में प्रशांत भूषण ने भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाकर कर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि अदालत ने इन मामलों की सीबीआई जांच के आदेश देकर इसकी गंभीरता और विश्वसनीयता बढ़ा दी थी। इसी परिदृश्य में सिविल सोसायटी ने लोकपाल की मांग उठाई थी। इस तरह कुल मिलाकर जो वातावरण उस समय देश के अन्दर खड़ा हो गया था उससे तब सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के खिलाफ बदलाव का माहौल खड़ा हुआ। इसका लाभ भाजपा को मिला जो अकेले अपने दम पर 283 सीटें जीत गयी। उस समय विदेशों में पड़े लाखों करोड़ों के कालेधन की वापसी से हर व्यक्ति के खाते में पन्द्रह लाख आने के दावों और अच्छे दिनों के वायदे ने भाजपा को यह सफलता दिलाई थी। उस समय भाजपा को बड़े लोगों से संपर्क करके समर्थन मांगने की आवश्यकता नही पड़ी थी।

अब इन चार वर्षों में जो कुछ घटा है और अच्छे दिनों के वायदे के तहत लोगों को जो जो लाभ मिले हैं उसी की व्यवहारिकता का परिणाम है भाजपा इस दौरान हुए लोकसभा के अधिकाश उपचुनाव हार गयी है। देश के सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा के अपने ही घटक दलों के साथ रिश्ते अब बिखरास पर आ गये हैं। इस परिदृश्य में भाजपा को आज ''संपर्क से समर्थन'' की योजना पर उतरना पड़ा है। 2014 में किये गये वायदे कितने पूरे हुए हैं यह हर आदमी के सामने आ चुका है। संघ-भाजपा की वैचारिक स्वीकार्यता कितनी बन पायी है और इस विचारधारा की सोच कितनी सही है इसका एक बहुत बड़ा खुलासा संघ मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणव मुखर्जी के भाषण के बाद सामने आ गया है। इस तरह कुल मिलाकर जो वातावरण आज भाजपा के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है उसी का परिणाम है कि भाजपा नेताओं को समाज के बुद्धिजीवि वर्ग के लोगो से संपर्क बढ़ाने और समर्थन मांगने की आवश्यकता आ खड़ी हुई है।

इसी कड़ी में केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा को शिमला आकर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज लोकेश्वर पांटा, प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एसएस परमार, पूर्व जज अरूण गोयल, पूर्व नौकरशाह जोशी और लेखक एसआर हरनोट के यहां दस्तक देनी पड़ी है। यह लोग कोई सक्रिय राजनीति के कार्यकर्ता नहीं है और न ही किसी बड़े समाजिक आन्दोलन के अंग हैं जो भाजपा की नीतियों और विचारधारा से आश्वस्त होकर आम आदमी में उसकी पक्षधरता की वकालत करेंगे या संघ भाजपा के पक्ष मे कोई बड़ा ब्यान देकर किसी बहस को अंजाम देंगे। नड्डा ने इन लोगों से मिलकर पार्टी की ओर से दी गयी जिम्मेदारी निभा दी है और अखबारों में इसकी खबर छपने से उनको इसका प्रमाण पत्र भी मिल गया है। लेकिन इसी परिदृश्य में नड्डा से बतौर केन्द्रिय मन्त्री कुछ सवाल प्रदेश की जनता की ओर से पूछे जाने आवश्यक है। सवाल तो कई हैं लेकिन मैं केवल दो सवाल ही उठाना चाहूंगा। पहला सवाल है कि प्रधानमन्त्री मोदी से लेकर नड्डा तक भाजपा के हर बड़े नेता ने पिछले लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक वीरभद्र के भ्रष्टाचार को प्रदेश की जनता के सामने एक बड़ा मुद्दा बनाकर उछाला था। यह कहा था कि इनके तो पेड़ों पर भी पैसे लगते हैं। नड्डा जी इन आरोपों की जांच आपकी केन्द्र की ऐजैन्सीयों ने ही की है इन ऐजैन्सीयों ने वीरभद्र के साथ बने सहअभियुक्तों आनन्द चौहान और वक्कामुल्ला को तो इसलिये गिरफ्तार कर लिया कि इन्होने भ्रष्टचार करने मे वीरभद्र का सहयोग किया। लेकिन जिसको इस सहयोग से लाभ मिला उस वीरभद्र को तो आप हाथ नही लगा सके। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? क्या वीरभद्र के खिलाफ जानबूझ झूठे मामले बनाये गये थे या कुछ और था क्या इसका कोई जवाब आप प्रदेश की जनता को दे पायेंगे?

इस कड़ी में मेरा दूसरा सवाल यह है कि मोदी जी ने मण्डी की चुनावी जनसभा में प्रदेश की वीरभद्र सरकार से 72 हजार करोड़ का हिसाब मांगा था। यह कहा था कि उनकी सरकार ने केन्द्र की ओर से 72000 करोड़ की आर्थिक सहायत दी है मोदी ने वीरभद्र से पूछा था कि उन्होने यह पैसा कहां खर्च किया। अखबारों में यह बड़ी खबर छपी थी क्योंकि यह बड़ी जानकारी थी आम आदमी के लिये। लेकिन अब प्रदेश में आपकी सरकार बन गयी उसके बाद आये अपने पहले ही बजट भाषण में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र से प्रदेश को मिली सारी धनराशी का आंकड़ा 46000 करोड़ कहा है। जयराम का बजट भाषण सदन के रिकार्ड मे मौजूद है। मोदी और जयराम के आंकड़ो में 26,000 करोड़ का अन्तर है। मोदी के भाषण की रिकार्डिंग भी उपलब्ध है। ऐसे में नड्डा जी क्या आप बतायेंगे कि मोदी और जयराम में कौन सही और सच्च बोल रहा है। इसी तरह के कई सवाल जयराम सरकार से भी उठाये जायेंगे। लेकिन अभी नड्डा जी से इतना ही अनुरोध है कि इन सवालों के परिदृश्य में मोदी सरकार समर्थन की कितनी हकदार है।

बैंकों की सक्रिय भागीदारी से मिलेगा कृषि-आर्थिकी को बल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैंकों के सक्रिय सहयोग से किसानों को उदार ऋण उपलब्ध करवाकर कृषि – आर्थिकी को बल प्रदान करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा कृषि एवं बागवानी विभागों के साथ मिलकर 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान आरम्भ किया है। कृषकों की, फसल बिजाई व बीज इत्यादि खरीदने की छोटी – छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक, कृषकों को इस योजना के तहत बड़ी संख्या में ऋण प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 1.62 लाख किसानों ने 3000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्ता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के सहयोग से इस क्षेत्र में निवेश ऋण को व्यापक बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, ऋण

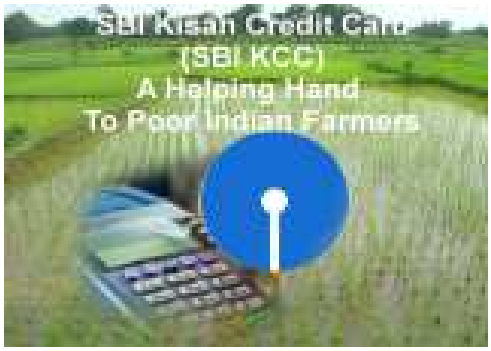

योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई हैं। हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त ही कृषि से जुड़ी गतिविधियों का चयन किया गया है। वित्त वर्ष 2018 – 19 के लिए 22390 करोड़ रुपये की क्षमता आधारित ऋण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तीय समावेश अभियान के अन्तर्गत लगभग 10.30 लाख प्रधानमंत्री जन – धन खाते खोले गए तथा 11.60 लाख खाताधारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाए गए हैं। ऐसे 90 प्रतिशत से ज्यादा खाते आधार नम्बरों के साथ जोड़े दिए गए हैं।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम में आधार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रदेश में विभिन्न बैंक शाखाओं में लगभग 167 आधार पंजीकरण और उन्नयन केन्द्र खोले जा रहे हैं ताकि आधार कार्ड की सुविधा से वंचित ग्रामीणों को नजदीक ही आधार बनाने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्रदेश में इस समय 2128 विभिन्न बैंक शाखाओं और लगभग 1937 एटीएम का नेटवर्क उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक ए.टी.एम. खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को बेहतर बैंक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। दुर्गम क्षेत्रों में जहां बैंक शाखाएं खोलना संभव नहीं है, विभिन्न बैंकों द्वारा 2 हजार 'बैंक मित्र' तैनात किए गए हैं ताकि ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोग बैंक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र के तहत निवेश ऋण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत है और इस क्षेत्र में निवेश ऋण को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' और संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। सभी किसानों के विवरण 'अपलोड' करने के लिए बैंकों को अनिवार्य बनाया गया है ताकि प्रभावित किसानों को किसी भी असुविधा से बचाया जा सके और समयबद्ध आधार पर उन्हें मुआवजा मिल सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए है और कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन पर बल देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं।

कृषि क्षेत्र में ये प्रयास कृषि – अर्थव्यवस्था को अवश्य बढ़ावा देंगे, जिससे किसानों को वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य में 4.47 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये 443 करोड़

प्रदेश में गरीब लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाने के लिये राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इन लोगों को आर्थिक तौर पर संबल बनाने के लिये अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वरदान सिद्ध हो रही है। राज्य में लगभग 4.47 लाख लोगों को यह पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये 443 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

योजना की जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने कहा कि राज्य की बागडोर संभालने के उपरांत राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में वृद्धजनों के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिये बिना आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष घटाकर 70 वर्ष किया। इस महत्वपूर्ण निर्णय से लगभग 1.30 लाख वृद्धजनों को लाभ पहुंचा है और साथ ही उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय अपंगता पेंशन, अपंग राहत भत्ता इत्यादि शामिल हैं।

पेंशन प्राप्त करने की पात्रता पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष हो तथा समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक न हो, को 750 रुपये प्रति माह की दर ये वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1300 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उन वृद्धों को जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के सदस्य हों, को भारत सरकार द्वारा दो सौं रुपये प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन प्रदान की जाती है। 750 रुपये पेंशन प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 550 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन प्रदान की जाती है। 1300 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 800 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 69 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। 750 रुपये की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 450 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा तीन सौ रुपये प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय अपंगता पेंशन प्रदान की जाती है। 1300 रुपये की दर से पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उन विकलांग व्यक्तियों को जिनकी विकलांगता 40 से 69 प्रतिशत के बीच हो तथा समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक न हो, को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से विकलांग राहत भत्ता दिया जा रहा है। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि मे कार्यरत न हो, को बिना आय सीमा की शर्त के 1300 रुपये प्रतिमाह की दर से विकलांग राहत भत्ता दिया जा रहा है।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा ऐसी विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाएं जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय समस्त साधनों से 35000 रुपये से अधिक न हो, को 750 रुपये प्रति माह की दर से यह पेंशन दी जा रही है।

कुष्ठ रोगियों को 750 रुपये प्रति माह की दर से कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है।

डा. सैजल ने जानकारी दी कि ऐसे ट्रॉसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गये हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रॉसजैण्डर पेंशन प्रदान की जा रही है।

साइबर अपराधों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन सूचना प्रणाली स्थापित

शिमला/पीआईबी। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध विशेषकर ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री, दुष्कर्म संबंधी वीडियो सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को हटाने से जुड़े मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी की अध्यक्षता में विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी तरह की एक विशिष्ट गोलमेज बैठक आयोजित की गई। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को लगातार जारी रखने के लिए डिजिटल माध्यम का व्यापक इस्तेमाल निरंतर बढ़ता जा रहा है।

उपर्युक्त बैठक में विभिन्न सरकारी हितधारकों, उद्योग संगठनों एवं भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के साथ-साथ सोशल मीडिया एजेंसियों ने भी भाग लिया। इस दौरान डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सिविल सोसायटी का भी प्रतिनिधित्व रहा।

साइबर अपराध के अंतहीन प्रकृति से महिलाओं और बच्चों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया जाए।

किसी भी समय कहीं से भी साइबर अपराध की शिकायतों को दर्ज करने और कार्यान्वित करने के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीय सूचना तंत्र का विकास किया जाए।

ऑनलाइन बीभत्स/अपमानजनक सामग्री को वास्तविक समयसीमा में हटाने/अवरुद्ध करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए।

193 एकल सुविधा केन्द्र (ओएससी), जिसे लोकप्रिय रूप से सखी केंद्र के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में कार्य कर रहा है। आज नई दिल्ली में डब्ल्यूसीडी मंत्रालय की उपलब्धियों पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए, डब्ल्यूसीडी मंत्री ने कहा कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए पूरे देश में 193 सखी केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष तक एकल सुविधा केन्द्रों (ओएससी) की संख्या बढ़ाकर 600 कर दिए जाने का लक्ष्य है। इन केन्द्रों के जरिए 1.3 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान किया गया है।

मंत्री ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए विशेष प्रभाग बनाया है। डब्ल्यूसीडी मंत्री ने सभी मंत्रालयों को इस तरह के प्रभाग बनाने के लिए पत्र लिखा है। मंत्री ने आगे कहा कि एमएचए सेक्स अपराधियों के राष्ट्रीय रिपोजिटरी (एनआरएसओ) का गठन कर रहा है। यौन अपराधियों की प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की जाएगी।

निर्भया कोष के तहत मूल्यांकन की गई परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया कोष के तहत 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।

एनआरआई विवाह से संबंधित विवादों पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि डब्ल्यूसीडी मंत्रालय रजिस्ट्रार को यह आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है कि एनआरआई विवाह अगर 48 घंटे के अंदर पंजीकृत नहीं होता है तो उन्हें पासपोर्ट/वीजा जारी नहीं किया जाए। रजिस्ट्रार ऐसे एनआरआई विवाहों का विवरण डब्लूसीडी मंत्रालय को भेजेंगे ताकि केंद्रीय डेटाबेस बनाया जा सके। मंत्रालय ने हाल ही में ऐसे मामलों में 6 लुक आउट सर्कुलर जारी किए हैं तथा 5 मामलों में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट रद्द भी कर दिए गए हैं।

डब्ल्यूसीडी मंत्री ने 1 जून 2018 को सखी सुरक्षा उन्नत डीएनए प्रयोगशाला की नींव रखी ताकि केस-बैकलॉग को कम करने तथा महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए यौन हमले के मामलों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। इसके लिए निर्भया कोष के तहत 99.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगले 3 महीनों में मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे और भोपाल में पांच और उन्नत फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

बलात्कार के मामलों के लिए विशेष फोरेंसिक किट: यौन उत्पीड़न के मामलों में अपराधियों को पकड़ने में फोरेंसिक के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि बलात्कार के लिए विशेष फोरेंसिक किट जुलाई के महीने तक सभी पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों को वितरित कर दी जाएगी। इन किटों में सबूत इकट्ठा करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य/नमूने की पूरी सूची होगी। फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को भेजने से पहले किट को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति-मंत्रालय ने सभी हितधारकों से प्राप्त 15000 से अधिक सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के बाद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति, 2017 का मसौदा तैयार किया है। एक संवाददाता द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि नीति कैबिनेट को सौंप दी गई है।

मौत की सजा संबंधित अध्यादेश बच्चों के साथ बलात्कार के अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए, सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन कर मृत्युदंड देने के एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 12 वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के बलात्कारियों को मौत की सजा के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया था।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में सेक्स चयन को रोकने, लड़कियों के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अप्रैल-मार्च, 2015-16 और 2016-17 के बीच की अवधि में 161 जिलों के लिए एमओएच एंड एफडब्ल्यू के नवीनतम एचएमआईएस डेटा के अनुसार उत्साहजनक रुझान दिखाई दिए हैं।

104 बीबीबीपी जिलों में एसआरबी की प्रवृत्ति में सुधार दिखाई दिया है। एंटी-नाटल केयर पंजीकरण के मामलों में 119 जिलों में पहले तिमाही में पंजीकरण में तेजी आई है।

146 जिलों में संस्थागत डिलीवरी में सुधार दिखाई दिया है। एसएचई बॉक्स (SHe/BOX) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए पहली इस तरह की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और शिकायत प्रबंधन प्रणाली 2017 में शुरू की गई थी। पोर्टल पर लगभग 191 शिकायतें दर्ज की गई और मंत्रालय ने उन पर कार्रवाई की।

प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 प्रसूति लाभ (संशोधन) बिल, 2016 27 मार्च, 2017 को एक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया गया जो इस तरह का दुनिया में तीसरा देश बन गया है। कमीशनिंग और गोद लेने वाली मांएं भी 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, बशर्ते बच्चे की उम्र 3 महीने से कम हो। 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में अनिवार्य क्रैच सुविधा भी देने की भी प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले वर्ष पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) का प्रशिक्षण का कार्य किया है ताकि वे अपने गांवों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकें और जमीनी परिवर्तन लाकर विकास की दिशा में अग्रसर हो सकें। इसके तहत अब तक 18,578 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और इस वित्त वर्ष में 20,000 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को और प्रशिक्षित किया जाएगा।

नई टैक्सी नीति दिशा निर्देश- महिलाओं को बेहतर सुरक्षा देने के उद्देश्य से 2017 में नई टैक्सी नीति दिशा निर्देश लाया गया था। इसके तहत सभी टैक्सियों में जीपीएस पैनिक डिवाइस, बच्चों के लिए-लॉकिंग सिस्टम को अक्षम करना, वाहन चालक के फोटो और पंजीकरण संख्या के साथ चालक की पहचान को प्रदर्शित, सीट साझा करना महिला यात्रियों की इच्छा के अधीन होना आदि अनिवार्य किया गया है।

यह एक देशव्यापी टोल फ्री नंबर है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे की आपातकालीन और नन-आपातकालीन सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अब तक 16.5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता दी गई है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संवेदनशील मामलों में समग्र पुलिस प्रतिक्रिया में सुधार लाने और पुलिस बल में महिलाओं को आगे लाने के लिए एमएचए (गृह मंत्रालय) के साथ काम कर रहा है।

पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को सलाह दिया गया है।

33 प्रतिशत आरक्षण को 10 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है

विधवाओं के लिए घर-केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित 1000 विधवाओं की क्षमता वाले एक विधवा घर वृंदावन (यूपी) में शुरू किया गया है, जिसमें हर तक सुविधा दी जा रही है।

जेलों में महिलाएं-जेल में महिलाओं और बच्चों की हालत के अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट को सिफारिशें भेज दी जाएंगी।

इसे 8 मार्च 2018 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरावस्था वाली लड़कियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हासिल करना है।

पॉक्सो ई-बॉक्स अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और बच्चों या किसी वयस्क के लिए बाल यौन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक आसान और उपयोगी सुविधा है। अब तक पोर्टल पर 1100 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।

बच्चों के लिए हेल्पलाइन (1098) यह मुश्किल में फंसे बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकालीन हेल्पलाइन है। यह वर्तमान में पूरे देश में 435 स्थानों पर परिचालित है। इस पर 2014 से हर वर्ष 1.8 करोड़ कॉल प्राप्त होते हैं।

लापता बच्चों की समय पर निगरानी सुनिश्चित करना

लापता बच्चों के लिए त्वरित प्रत्यावर्तन और पुनर्वास सुनिश्चित करना

बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की निगरानी सुनिश्चित करना

प्रक्रिया में शामिल संगठनों के लिए एक ढांचा स्थापित करना

173441 बच्चों को इस प्रक्रिया के माध्यम से मिलाया गया है।

(पसका)

आईपीएल ने बनाया क्रिकेट खेल को उद्योग

– डॉ. हनुमंत यादव –

ललित मोदी का सटीक चिन्तन था कि क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों के पास धन की कोई कमी नही है फिर भी वे एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक आदि में देश के लिए खेलने की बजाय आईपीएल में पैसे के लिए खेलना अधिक पसंद करेंगे। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए पैसा ही भगवान है इसलिए उनको यदि वस्तुओं के समान नीलामी में बोली लगाकर खरीदने की शर्त भी रखी जाय तो वे आत्मसम्मान की चिन्ता किए बगैर अपने आपको बिकने को सहर्ष प्रस्तुत कर देंगे। ललित मोदी के सभी आकलन सही थे, किन्तु उन्होंने अतिउत्साह में 2009 में आईपीएल द्वितीय संस्करण के मैच फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए दक्षिण अफ्रीका में करवाने का जो दु:साहस किया उसने उनके आईपीएल के सारे योगदानों पर पानी फेर दिया।

27मई को मुम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के ग्यारहवें संस्करण के टी–20 क्रिकेट के खेले गए फायनल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स चौम्पियन बन गई। इस प्रकार कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में धमाकेदार वापसी की है। ग्यारहवें संस्करण से आईपीएल से जुड़ने वाले आस्ट्रेलियाई आलराउंडर खिलाड़ी शेन वाटसन की चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाने में प्रमुख भूमिका रही। 7 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुए आईपीएल में 51 दिनों में कुल 60 मैच खेले गए थे।

27 एवं 28 जनवरी को खिलाड़ियों की खुली नीलामी थी। ग्यारहवें संस्करण में आईपीएल स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली सभी फेन्चाइजी टीम मालिकों को खिलाड़ी खरीदने का बजट 80 करोड़ रुपए निर्धारित था, प्रत्येक टीम के लिए विदेशी खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम 8 तक सीमित थी। 27 व 28 जनवरी को हुई खिलाड़ियों की खुली नीलामी में आठ टीम मालिकों ने कुल 431 करोड़ 70 लाख रुपए में कुल 163 खिलाड़ी खरीदे जिसमें 56 विदेशी थे। चेन्नई सुपर किंग्स के समान ही राजस्थान रॉयल्स भी ग्यारहवें संस्करण के साथ आईपीएल में वापसी कर रही थी इसलिए उसने खिलाड़ियों की खरीदी हेतु की गई नीलामी में पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक को 12.5 करोड़ रुपए तथा जयदेव उनादकाट को 11.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लिए केपीएमजी स्पोटर्स एडवाइजरी ग्रुप द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आईपीएल का कुल टर्नओवर 2650 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2015 में इसका भारतीय जीडीपी में कुल योगदान 1.6 प्रतिशत के समकक्ष था। इस प्रकार इंडियन प्रीमियर लीग टी–20 क्रिकेट मैचों का एक आयोजनकर्ता संगठन मात्र नहीं है, बल्कि 1150 करोड़ का राजस्व बटोरने वाला मालामाल आईपीएल उद्योग बन चुका है। आईपीएल की लोकप्रियता इसी बात से साबित होती है कि पेप्सी द्वारा 2015 में टाइटल स्पांसरशिप छोड़ने के तत्काल बाद ही चीन वीवो मोबाइल कंपनी ने 2199 करोड़ रुपए पर 2022 तक के लिए आईपीएल स्पांसरशिप प्राप्त कर लिया। आईपीएल के पास विज्ञापनों की भरमार है। इस प्रकार आईपीएल का अर्थशास्त्र बहुत मजबूत अर्थशास्त्र है।

आईपीएल की लोकप्रियता एवं कमाई देखकर अब भारत में कबड्डी सरीखे देशी खेलों का आयोजन भी आईपीएल की तर्ज पर कबड्डी खिलाड़ियों की खुली नीलामी में बोली लगाकर खिलाड़ियों की खरीदी होने लगी है। आईपीएल क्रिकेट उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग बन चुका है। फेन्चाइजी टीम मालिकों के लिए अरबपति होना जरूरी है क्योंकि 80 करोड़ रुपए केवल खिलाड़ियों की बोली लगाकर खरीदी पर ही खर्च हो जाते हैं। दो महीने के लिए कोच को भी कम से कम दो करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, अन्य व्यय अलग हैं। बीसीसीआई टिकटों की बिक्री, स्पांसरशिप, ब्रॉडकास्टिंग अधिकार, टेलीकास्टिंग अधिकार, विज्ञापन आदि से प्राप्त राजस्व का 60 प्रतिशत फेन्चाइजी टीमों में बराबर बराबर बांट देते हैं। इस प्रकार फेन्चाइजी की टीम फाइनल में जीते या न जीते, उनको घाटा नहीं होता है।

आईपीएल उद्योग की सफलता का श्रेय इसका बीजारोपण करके शुरूआती दिनों में इसके खाके को अमलीजामा पहनाने वाले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ललित मोदी को जाता है जिन्होंने आईसीएल की तर्ज पर इस विशाल उद्योग की नीव रखी। ललित मोदी को भारतीयों के क्रिकेट जुनून के बारे में अच्छी जानकारी थी। उनका आकलन था कि 50 ओवरों के दिनभर खेले जानेवाले खेलों की बजाय 20 ओवर के लीग मैच खेले जाएंगे तो अधिक दर्शकों को जोड़ा जा सकता है। अप्रैल–मई में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र भी मैच के समय रेडियो व टीवी से जुड़े रहेंगे।

क्रिकेट का जन्म इंगलैंड में होने के कारण वर्तमान में यह सभी कॉमनवेल्थ देशों में बहुत लोकप्रिय है। भारत में यहां के राजा महाराजा और नवाबों ने इसको संरक्षण देकर लोकप्रिय बनाया। रियासतों की खुद की क्रिकेट टीमें हुआ करती थीं जिसमें राजा और नवाब लोग स्वयं भी क्रिकेट खेलते थे तथा दूसरे राज्यों के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने रियासत की क्रिकेट टीम में शामिल होने हेतु मुहमांगा पारिश्रमिक देकर आमंत्रित करते थे। उदाहरण के लिए इंदौर के महाराजा ने सी.के. नायडू को होल्कर टीम में आमंत्रित करके उन्हें कर्नल का ओहदा देकर कर्नल की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। भारत में क्रिकेट को राजा महाराजाओं का संरक्षण होने के कारण क्रिकेट को सामंतवादी खेल माना जाता था जबकि हॉकी फुटबाल को मेहनतकश लोगों का खेल माना जाता था। आजादी के बाद भारत के क्रिकेट की बागडोर पूरी तरह से बीसीसीआई के हाथों में आ गई। राज्यों के क्रिकेट बोर्ड पर वहां के मुख्यमंत्री विराजमान होने लगे। किन्तु आईपीएल क्रिकेट खेल की बजाय क्रिकेट उद्योग हो जाने से आईपीएल पर पूंजीवाद हावी हो गया। सभी फेन्चाइजी टीमें कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं तथा उनके मालिक अरबपति व्यवसायी या अरबपति फिल्मी सितारे हैं।

फेन्चाइजी टीमों के मालिकों का वर्तमान समय में अरबपति या कारपोरेट मालिक होना कोई बुरी बात नहीं है। आईपीएल उद्योग है तो टीम मालिकों का अरबपति होना स्वाभाविक है। किन्तु जब 2008 में ललित मोदी ने आईपीएल की फेन्चाइजी टीमों के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी प्रथा प्रारंभ करके खुली बोली लगाकर क्रिकेट खिलाड़ियों की खरीदी करने की बात कही तो विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि सामंतवादी युग में गुलामों एवं नर्तकियों की नीलामी में बोली लगाकर खरीदी की जाती थी। आज भी अनमोल वस्तुओं को धनी व्यक्ति नीलामी में बोली लगाकर खरीदते हैं तथा उन वस्तुओं को अपने आवास या कार्यालय में नुमाइश के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात यह कि वर्तमान युग में कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कितनी भी मजबूरी हो अपने आपकी नीलामी द्वारा बिक्री की बात सपने में भी नही सोचेगा।

आम तौर पर क्रिकेट खिलाड़ी आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हैं इसलिए ललित मोदी के क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी की बात पर मेरे सरीखे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्रिकेट खिलाड़ी खुद की नीलामी के लिए अपने आपको आईपीएल में पंजीकृत करवाएंगे। अब तो आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी के 11 साल पूरे कर चुका है। फेंचाइजी टीम के मालिक खुश हैं, उनके अहं की तुष्टि हो रही है कि वे केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के नामी गिरामी क्रिकेट खिलाड़ियों को नीलामी में खरीद रहे हैं।

आईपीएल के ग्यारहवें संस्करण के लिए 8 टीमों के स्कॉड के लिए कुल 163 खिलाड़ी खरीदे जाने थे, 282 विदेशी खिलाड़ियों ने 27 व 28 जनवरी को होने वाली नीलामी के लिए पंजीयन कराया था, इनमें 55 आस्ट्रेलिया, 57 दक्षिण अफ्रीका, 39 वेस्टइंडीज और 39 श्रीलंका के खिलाड़ी नीलामी में उपस्थित थे। इनमें से 56 विदेशी खिलाड़ी खरीदे गए। नीलामी में खरीदे गए विदेशी खिलाड़ियों में सबसे अधिक 17 आस्ट्रेलिया के थे। अन्य देशों के खरीदे गए खिलाड़ियों में इंग्लैंड 8, दक्षिण अफ्रीका 8, वेस्ट इंडीज 7, और न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ी थे। 7 करोड़ रुपए से अधिक कीमत पर खरीदे गए 16 खिलाड़ियों में 8 विदेशी थे। सन राइजर्स हैदराबाद ने आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी केन विलियमसन को अपनी टीम का कप्तान बनाया। आठ टीमों में से 6 टीमों के मुख्य कोच विदेशी थे।

फेन्चाइजी टीमों ने 150 डॉलर प्रति खेल पर विदेशी चियर लीडर गर्ल्स रखा था। इन सभी विदेशियों को विदेशी मुद्रा डॉलर में भुगतान किया जाता है। सवाल उठता है कि क्षेत्रीय आठ फेन्चाइजी टीमों के लिए क्या भारत में खिलाड़ियों, कोच व चियर लीडर्स लड़कियों की कमी है। फेन्चाइजी टीमें कम से कम चियर लीडर्स अपने प्रदेश की लड़कियों को नियुक्त कर सकते थे। अब यदि विदेशी खिलाड़ी, कोच, चियर लीडर का इतना अधिक मोह है तो इंडियन प्रीमियर लीग का नाम बदलकर इंटरनेशनल प्रीमियर लीग कर देना चाहिए। इंटरनेशनल नामकरण से विदेशी स्पांसरशिप अधिक मात्रा में अधिक कीमत में मिल सकती हैं।

नाम तो आईपीएल ही रहेगा केवल इंडियन की बजाय इंटरनेशनल शब्द प्रतिस्थापित हो जाएगा। भारतीय दर्शकों को भी अहसास होगा कि वे इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं तथा भारतीय खिलाड़ी भी गर्व महसूस कर सकते हैं कि वे इंटरनेशनल लीग मैच खेल रहे हैं। फिलहाल बीसीसीआई के दावे के अनुसार आईपीएल का भारत की जीडीपी में 1. 6 प्रतिशत योगदान है, उसके आगे संस्करणों में और अधिक बढ़ने की संभावना है।

(देशबन्धु से साभार)

देश के 91 प्रमुख जलाशयों का जल संग्रह स्तर 17 प्रतिशत बना रहा

शिमला/पीआईबी। देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 26.742 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 17 प्रतिशत है। 31 मई, 2018 को समाप्त सप्ताह में भी जल संग्रह 17 प्रतिशत के समान स्तर पर था। 7 जून, 2018 को समाप्त सप्ताह में यह संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 83 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 89 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली लाभ देते हैं।

उत्तरी क्षेत्र–उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 2.57 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 14 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 26 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 26 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है लेकिन पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

पूर्वी क्षेत्र–पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.02 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 21 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 24 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 18 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र–पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 31.26 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.39 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 14 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 19 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 18 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है ।

मध्य क्षेत्र–मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 9.42 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 22 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 31 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 19 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र–दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 6.34 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 12 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 7 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है, लेकिन पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कम है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, एपी एवं टीजी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ओडिशा,गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल हैं।

(Scheduled Bank)

H.P. STATE COOPERATIVE BANK LIMITED

Head Office, The Mall, Shimla-171001

"Bank of the State for the State"

1st Cooperative Bank of the Country on 100% C.B.S.

Dedicated to the services of the people of H.P. since 1953.

Wide Service Network

Branches	Extension Counters	ATMs
218	23	90

Enjoy the Mobile Banking 24X7. Download 'HIMPESA' App from Play Store

LOAN SCHEMES

EDUCATION LOAN

HOUSE LOAN

AGRI. LOAN

SELF EMPLOYMENT LOAN

VEHICLE LOAN

PERSONAL LOAN

DAIRY ENTREPRENEUR DEVELOPMENT SCHEME

KCC SCHEME

LOAN AGAINST SALARY

MUDRA LOAN

PMEGP

Lowest Interest Rates on Loans

FACILITIES AVAILABLE

Maximum Interest Rates on Deposits

DEPOSIT SCHEMES
1. HIM LAKHPATI JAMA YOJNA
2. PYGMY DEPOSITS
3. 444 DAYS DEPOSIT
4. HPN DEPOSITS
5. FIXED DEPOSITS
6. PAANCH SAAL MEIN LAKHPATI YOJANA

SOCIAL SCHEMES
1. PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA
2. PRADHAN MANTRI JIWAN JYOTI BIMA YOJNA
3. PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJNA

OTHER FACILITIES
1. MOBILE BANKING
2. RTGS / NEFT / IMPS
3. ATM Facility
4. RuPaY Debit Card

Avail HPSCB- Advantage

* Highest Rate of interest on deposits to Senior Citizens
* Quick disposal * Low margin requirements

For more details- Visit our nearest Branch todayor Log on to www.hpscb.com

Khushi Ram Balnatah
Chairman

Toll Free No. 1800-180-8090
10.00AM TO 5.00 PM ON WORKING DAYS

Ram Kumar Gautam, H.A.S.
Managing Director

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या लोकसेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी हो पायेगी–भाजपा के आरोपों से उठा सवाल

अब उच्च न्यायालय पर लगी निगाहें

शिमला/शैल। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। यह संस्थान सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिये अधिकारियों का चयन करती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग यह जिम्मेदारी निभाता है। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग इसको अंजाम देते है। प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की शीर्ष प्रशासनिक सेवा एचएएस, एचपीएस आदि के साथ अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारियों का चयन भी करता है। इन संस्थानों की अहमियत का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है किन्तु इनको निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। उसके लिये भी यह प्रक्रिया है कि यदि किसी सदस्य को लेकर कोई शिकायत राज्यपाल के पास आती है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवायेंगे। यदि सर्वोच न्यायालय उस शिकायत को सही पाये तभी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर निष्कासन के आदेश कर सकते हैं अन्यथा नहीं। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जिसके निष्कासन के लिये इतनी ठोस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है उसकी नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया है। संविधान में यह मुख्यमन्त्री और राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसमें मुख्यमन्त्री अपने विवेक पर किसी की नियुक्ति की संस्तुति करता है और राज्यपाल उसको स्वीकार करके नियुक्ति को अंजाम दे देता है।

लेकिन जब देश के कई राज्य में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे तथा कई जगह अध्यक्ष और सदस्यों की गिरफ्तारी तक हो गयी। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में ही गिरफ्तारी की नौबत घट चुकी है। हिमाचल में ही एक समय लोकसेवा आयोग द्वारा की गयी टैक्स इन्सपैक्टरों की भर्ती पर उठा विवाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। फिर एक बार एक अध्यक्ष द्वारा सचिव के बिना ही प्रश्न पत्र चैस्ट को खोलने का प्रयास किया गया था तब अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उसी दिन सचिव का तबादला करवाकर इस कांड को दबाया था। अभी कुछ समय पहले भी आयोग के सीक्रेसी कक्ष की विडियोग्राफी करवाये जाने के प्रयास की शिकायत आयोग में चर्चा का विषय रही है। वीरभद्र के शासनकाल में हुई एक नियुक्ति को तो प्रदेश उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गयी है। यह याचिका अभी तक लंबित है। इस नियुक्ति को भाजपा ने चुनावों के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद इस सरकार ने भी एक और नियुक्ति कर दी। बल्कि दो नये पद सृजित किये गये इसके लिये। नियुक्ति के लिये जो प्रक्रिया वीरभद्र सरकार ने अपनाई थी वही प्रक्रिया जयराम सरकार ने अपनाई है। इस तरह दोनो सरकारें एक ही पायदान पर खड़ी हो गयी हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल केवल जनता को मुर्ख बनाने के लिये ही एक दूसरे पर आरोप लगातें हैं और मौका मिलने पर उसी राह पर दो कदम आगे निकलने का प्रयास करते हैं। लोक सेवा आयोगों और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्डो की इस स्थिति को देखते हुए ही पिछले दिनो सर्वोच्च न्यायालय ने इन संस्थानों को निर्देश दिये हैं कि इनके द्वारा ली जा रही हर परीक्षा और साक्षात्कार सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हों। इस निर्देश पर अभी हिमाचल सरकार, लोक आयोग और हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कोई कदम नही उठाये हैं।

इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हो गया है कि तब पंजाब लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष ढांडा की नियुक्ति को लेकर एक याचिका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में आयी थी तब इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। सरकार को निर्देश दिये थे कि वह अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये। पंजाब सरकार उच्च न्यायालय के इस पर फैसला 25.2.2013 को आया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के दोनों जजों ने उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है बल्कि जब यह मामला लंबित चल रहा था तभी पंजाब सरकार ने ढांडा के स्थान पर दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी थी। इसलिये नयी नियुक्ति को डिस्टर्ब न करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि शीर्ष अदालत लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर समय - समय जो निर्देश और मानदण्डों को लेकर दे चुका है उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश ढांडा की नियुक्ति को रद्द करते हुए स्पष्ट कहा है कि **These materials do not indicate that Mr. Harish Dhanda had any knowledge or experience whatsoever either in administration or in recruitment nor do these materials indicate that Mr. Harish Dhanda had the qualities to perform the duties as the Chairman of the State Public Service Commission under Article 320 of the Constitution which I have discussed in this judgment. No other information through affidavit has also been placed on record before us to show that Mr. Harish Dhanda has the positive qualities to perform the duties of the office of the Chairman of the State Pubic Service Commission under Article 320 of the Constitution.**

योग्यता के इस मानदण्ड पर क्या प्रदेश लोक सेवा आयोग के नव नियुक्त सदस्य जिनकी नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी पूरे उतरते हैं? इस सवाल पर जनता की निगाहें प्रदेश उच्च न्यायालय पर लगी है।

सदस्यों और अध्यक्ष की योग्यता को लेकर यह कहा है कि **"It is absolutely essential that the best and finest talent should be drawn in the administration and administrative services must be composed of men who are honest, upright and independent and who are not swayed by the political winds blowing in the country. The selection of candidates for the administrative services must therefore be made strictly on merits, keeping in view various factors which go to make up a strong, efficient and people oriented administrator. This can be achieved only if the Chairman and members of the Public Service Commission are eminent men possessing a high degree of calibre, competence and integrity, who would inspire confidence in the public mind about the objectivity and impartiality of the selections to be made by them." In regard to the second requirement, it was said: "We would therefore like to strongly impress upon every State Government to take care to see that its Public Service Commission is manned by competent, honest and independent persons of outstanding ability and high reputation who command the confidence of the people and who would not allow themselves to be deflected by any extraneous considerations from discharging their duty of making selections strictly on merit."**

In In R/O Dr Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission, (2000) 4 SCC 309 this Court considered the functional requirements of the Public Service Commission and what is expected of its members and held: "Keeping in line with the high expectations of their office and need to observe absolute integrity and impartiality in the exercise of their powers and duties, the Chairman and members of the Public Service Commission are required to be selected on the basis of their merit, ability and suitability and they in turn are expected to be models themselves in their functioning. The character and conduct of the Chairman and members of the Commission, like Caesar's wife, must therefore be above board. They occupy a unique place and position and utmost objectivity in the performance of their duties and integrity and detachment are essential requirements expected from the Chairman and members of the Public Service Commissions."

इस समय जिस व्यक्ति को मुख्यमन्त्री चाहता है उसी को अध्यक्ष या सदस्य लगा दिया जाता है। मुख्यमन्त्रीयों के इस अधिकार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि **"The Public Service Commissions which have been given the status of constitutional authorities and which are supposed to be totally independent and impartial while discharging their function in terms of Article 320 have become victims of spoils system. "In the beginning, people with the distinction in different fields of administration and social life were appointed as Chairman and members of the Public Service Commissions but with the passage of time appointment to these high offices became personal prerogatives of the political head of the Government and men with questionable background have been appointed to these coveted positions. Such appointees have, instead of making selections for appointment to higher echelons of services on merit, indulged in exhibition of faithfulness to their mentors totally unmindful of their constitutional responsibility."**

The question of the Chief Minister or the State Government having "confidence" (in the sense in which the word is used with reference to the Chief Secretary or the Director General of Police or any important statutory post) in the Chairperson of a State Public Service Commission simply does not arise, nor does the issue of compatibility. Chairperson of a Public Service Commission does not function at the pleasure of the Chief Minister or the State Government. He or she has a fixed tenure of six years or till the age of sixty two years, whichever is earlier. Security of tenure is provided through a mechanism in our Constitution. The Chairperson of a State Public Service Commission, even though appointed by the Governor, may be removed only by the President on the ground of misbehaviour after an inquiry by this Court, or on other specified grounds of insolvency, or being engaged in any other paid employment or being unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body. There is no question of the Chairperson of a Public Service Commission being shifted out if his views are not in sync with the views of the Chief Minister or the State Government.

इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये बहुत विस्तार से दिशा निर्देश दे रखे हैं। यह निर्देश एक दशक पहले आ चुके हैं। पजांब के संद्धर्भ में फैसला 25.2.2013 को आया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार को इन निर्देशों पर अमल करते हुए एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार कर लेनी चाहिये थी। लेकिन राजनीतिक स्वार्थो और दबावों के चलते आज तक ऐसा नही हो पाया है। अब जब एक मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच ही गया है और इन नियुक्तियों पर राजनीतिक दलों ने ही अंगुली उठाई है तब आम आदमी की उम्मीद केवल प्रदेश उच्च न्यायालय पर ही टिकती है कि वहीं से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संद्धर्भ में प्रदेश की शीर्ष अदालत राज्य सरकार को आईना दिखाये। क्योंकि प्रदेश चिटटों पर भर्तीयों से लेकर अब सामने आये 9000 अनट्रेंड अध्यापकों तक के मामले झेल चुका है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के भविष्य को सामने रखते हुए उच्च न्यायालय ही इसमें एक बड़ी भूमिका निभाये।